

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनू (राजस्थान)
(दिनांक 12.03.2022 शनिवार)

लोक अदालत बैच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

जस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 76/2021

CMS NO- 2021/281

रजस्व मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

-उनवान-

अनिल कुमार

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना

-:निर्णय:-

दिनांक : 12.03.2022

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का श्यामपुरा मैनाना के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मैनाना की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मैनाना	53	हरिराम पुत्र गोपाल	हरिसिंह पुत्र गोपाल राम

(श्रीकांत)
सदस्य
अधिवक्ता

(सुनील कुमार चौहान)
आर.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी (कामी) बुहाना
जिला झुंझुनू

(दीपक कुमार)
अध्यक्ष
न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतडी

क्रमांक :- राजस्व/2022/

प्रतिलिपि :-तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।

दिनांक :- 12.03.2022

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

